तरावीह का हुक्म

حكم صلاة التراويح

[हिन्दी – Hindi – هندي]

मुहम्मद बिन सालेह अल–उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ حكم صلاة التراويح ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पांचवाँ अध्याय

तरावीह के उल्लेख में

रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ क़ियामुल्लैल करने (रात को नमाज़ पढ़ने) को 'तरावीह' कहते हैं। इस का समय इशा की नमाज़ के बाद से फज्र (फज्रे–सादिक़) उदय होने तक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के महीने में क़ियामुल्लैल करने की रूचि दिलाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

''जिस ने ईमान के साथ और अज्र व सवाब (पुन्य) प्राप्त करने की नीयत से रमज़ान में क़ियामुल्लैल किया, उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिये जयें गे।''

और सहीह बुखारी में आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि :
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक रात मस्जिद में क़ियामुल्लैल किया तो कुछ लोगों ने आप के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर अगली रात आप ने नमाज़ पढ़ी तो लोगों की अधिकता हो गई, फिर तीसरी या चौथी रात भी लोग एकत्र हुये, किन्तु आप नमाज़ के लिए उनकी तरफ नहीं निकले, जब आप ने सुबह किया तो फरमाया :

«قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرَض عليكم»

''(आज रात) जो कुछ तुम ने किया है मैं ने उसे देखा लेकिन तुम्हारी तरफ निकलने से मेरे लिए केवल यह चीज़ रूकावट बनी कि मुझे भय हुआ कि कहीं वह (तरावीह) तुम पर अनिवार्य न कर दी जाये।''
यह घटना रमज़ान में घटित हुआ।
सुन्नत का तरीक़ा यह है कि केवल ग्यारह (11) रक्अतों पर निर्भर किया जाये, और हर दो रक्अत के बाद सलाम फेरा जाये, इस लिए कि आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गिया कि रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अनैहि व सल्लम किस तरह नामज़ पढ़ते थे? तो उन्हों ने फरमाया :

«ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» متفق عليه

''आप रमज़ान और रमज़ान के अलावा में 11 रक्अत से अधिक नहीं पढ़ते थे।'' (सहीह बुख़ारी व मुस्लिम)
और मुवत्ता में मुहम्मद बिन यूसुफ से वर्णित है –और वह एक विश्वसनीय रावी हैं – वह साइब बिन यज़ीद से रिवायत करते हैं –और वह एक सहाबी हैं– कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबै बिन कअब और

तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया कि वे लोगों को 11 रक्अत तरावीह की नमाज़ पढ़ायें।

अगर कोई तरावीह की नमाज़ 11 रक्अत से अधिक पढ़ता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ियामुल्लैल के बारे में पूछा गया तो आप ने फरमाया :

«مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى»

أخرجاه في الصحيحين

''वह दो दो रक्अत पढ़ी जाये, और जब तुम में से किसी को सुबह होने का भय हो तो वह एक रक्अत नामज़ पढ़ ले, यह उसकी पढ़ी हुई नमाज़ को वित्र (विषम) बना देगी।'' (सहीह बुखारी व मुस्लिम)

किन्तु जो संख्या सुन्नत के अंदर आई है, संजीदगी (ठहर ठहर कर) और लंबी क़िराअत के साथ –इतनी लंबी जो लोगों के लिए कष्ट का कारण न हो– उसी की पाबंदी करना सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक परिपूण है।

किन्तु आजकल कुछ लोग जो अत्यन्त जल्दबाज़ी से काम लेते हैं, वह शरीअत के विरूद्ध है, और अगर उस से किसी वाजिब या रूक्न के अंदर गड़बड़ी पैदा होती है तो इस से नमाज़ बातिल (अमान्य) हो जायेगी।

बहुत सी मस्जिदों के इमाम लोग तरावीह की नमाज़ में संजीदगी (सुकून) से काम नहीं लेते है, यह उनकी गलती है, क्योंकि इमाम केवल अपने लिए नमाज़ नहीं पढ़ता है, बल्कि अपने लिए और अपने अलावा (मुक्तिदियों) के लिए भी नमाज़ पढ़ता है, अतः उसका स्थान वली (सरपरस्त) के समान है जिस पर अनिवार्य है के वह ऐसा काम करे जो सब से बेहतर और सब से उचित हो। अह्ले–इल्म (विद्वानों) ने उल्लेख

किया है कि इमाम के लिए इस स्तर तक जल्दबाज़ी करना मक्रूह है जो मुक्तिदियों के लिये वाजिबात की अदायगी में रूकावट हो।

लोगों के लिए उचित और शोभित है कि वे तरावीह की नमाज़ के लालायित बनें, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद जाने में उसे नष्ट न कर दें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इमाम के साथ क़ियामुल्लैल किया यहाँ तक कि वह उस से फारिग हो गया तो उसके लिए पूरी रात क़ियामुल्लैल करने का अज्र व सवाब लिखा जाता है, यद्यपि वह उसके बाद अपने बिस्तर पर सो ही क्यों न गया हो।

यदि फित्ना का डर न हो, तो तरावीह की नमाज़ में महिलाओं के उपस्थित होने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, किन्तु शर्त यह है कि वे शर्म व हया के साथ आयें, श्रृंगार (बनाव सिंगार) का प्रदर्शन करते हुये और सुगंध लगा कर न आयें।